

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2022-23/स्वीकृति/2022/2907-13

दिनांक: 07/12/2022

-: आदेश :-

तहसील कार्यालय अरनोद द्वारा उनके तहसील क्षेत्र में दिनांक 05.07.2022 को आंधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षति पर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं	पीड़ित का नाम मय पता	दुर्घटना का स्थान एवं विवरण	क्षतिग्रस्त मकान का प्रकार	स्वीकृत राशि	आवेदन संख्या
1	श्री रकमा पिता नागा मीणा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/040517
2	श्री पृथ्वीराज पिता प्रेमशंकर मीणा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/040500
3	श्री रकमचन्द पिता नन्दा मीणा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/040014
4	श्रीमती कमला पति राजमल मीणा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/039451
5	श्री गोरधन पिता नाकूराम मीणा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/023999
6	श्री भेरूलाल पिता अर्जुन	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/021324
7	श्री लालबहादुर पिता धुला मीणा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/019719
8	श्री मुकेश पिता फतिया मीणा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/019007
9	श्री शेरसिंह पिता रूपलाल मीणा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/019004
10	श्री नानुराम पिता आशिया मीणा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/018999
11	श्री कन्हैयालाल पिता मोतीलाल मीणा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/018884
12	श्री पुनमचन्द पिता फणिया	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/018820
13	श्री मन्नालाल पिता सरदारा	हिंगलाट, आंधी-तूफान	पक्का आंशिक	5200	AR/PART/2022/018717
योग				67600	

(सत्तेसठ हजार छः सो रुपये मात्र)

नोट:-

1. राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता, 07- आंशिक क्षतिग्रस्त घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

2. राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

3. आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

4. स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(डॉ. इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2022-23/स्वीकृति/2022/2907-13

दिनांक: 07/12/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी अरनोद।
- तहसीलदार, अरनोद।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़